भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1553

जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

6 श्रावण, 1943 (शक)

साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएं

1553. श्री बृजेन्द्र सिंह :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते सीमा विवादों के साथ-साथ देश में साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विशेष रूप से देश की महत्वपूर्ण अवसंरचना के प्रति साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने हेतु एक केंद्रीय प्राधिकरण का गठन करने का विचार है या सरकार ने ऐसा कोई अधिकरण गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) : भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए अधिदेशित है। सर्ट-इन ने रिपोर्ट है कि क्रमशः वर्ष 2019, 2020 और 2021 (जून तक) के दौरान कुल 394499, 1158208 और 607220 साइबर सुरक्षा घटनाएं देखी गई हैं।

(ख) : सरकार ने साइबर सुरक्षा स्थिति को बढ़ाने और साइबर हमलों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) नियमित आधार पर कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा के लिए नवीनतम साइबर खतरों/सुभेदताओं और जवाबी उपायों के बारे में अलर्ट और सलाह जारी करता है।

ii. सर्ट-इन सक्रिय खतरे की रोकथाम को सक्षम करने के लिए सभी क्षेत्रों में 700 से अधिक संगठनों के साथ प्रारंभिक चेतावनी खतरे की खुफिया अलर्ट साझा कर रहा है।

iii. सरकार ने मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए आवेदन/बुनियादी ढांचे और अनुपालन हासिल करने के लिए उनकी प्रमुख भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iv. सरकार ने सूचना सुरक्षा सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन का समर्थन और लेखा परीक्षा करने के लिए सुरक्षा लेखा परीक्षा संगठनों को पैनलबद्ध किया है।

v. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए सरकार ने साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है।

vi. साइबर सुरक्षा की स्थिति और सरकारी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संगठनों की तैयारियों का आकलन करने के लिए साइबर सुरक्षा मॉक ड्रिल और अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। सर्ट-इन द्वारा अब तक 59 ऐसे अभ्यास किए गए हैं जिनमें विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों जैसे वित्त, रक्षा, बिजली, दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा, अंतरिक्ष, आईटी/आईटीईएस आदि के 565 संगठनों ने भाग लिया।

vii. सर्ट-इन आईटी अवसंरचना को सुरक्षित करने और साइबर हमलों को कम करने के संबंध में सरकार और महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठनों के नेटवर्क/सिस्टम प्रशासकों और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

viii. सरकार साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र) संचालित कर रही है। केंद्र दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान कर रहा है।

ix. सरकार ने मौजूदा और संभावित साइबर सुरक्षा खतरों के बारे में आवश्यक स्थितिजन्य जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) की स्थापना की है। एनसीसीसी का चरण-I प्रचालनरत है।

x. सर्ट-इन अंतरराष्ट्रीय सीईआरटी, विदेशी संगठनों और सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घटना प्रतिक्रिया उपायों का सहयोग, कार्य और समन्वय भी करता है।

(ग) और **(घ)** : भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) 2004 से कार्य कर रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम,2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के अनुसार घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य है।आईटी अधिनियम की धारा 70क के प्रावधान के तहत, सरकार ने महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) को राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है।

****